

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941

No. 356]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

फा.सं. 12—37 / 2019—बीएंडसीएस.—केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए,-

- (ए) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और
- (बी) दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) और 45 (अ) के तहत भारतीय दुरसंचार विनियामक प्राधिकरण एततद्वारा निम्नवत विनियम बनाता है, अर्थात दुरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं—सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (2017 का 2), को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाया है :-
- 1. (1) इन विनियमों को दुरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 6) कहा जाएगा।
 - (2) यह विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 3 में, उप विनियम (5) के पश्चात्, निम्नवत उप-विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-
- ''(6) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, उपभोक्ताओं को आवेदन (जैसे मोबाइल एप) के माध्यम से अथवा प्राधिकरण द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध टेलीविजन चैनलों अथवा चैनलों के बुके को देखने, प्लेटफार्म पर उपलब्ध अपनी पसंद के टेलीविजन चैनलों अथवा चैनलों के बुके का चयन करने, किसी चैनल अथवा चैनलों के बुके को चैनलों की चयन की गई सूची से हटाने, सब्सक्रिप्शन के ब्योरे को देखने अथवा अपने सब्सक्रिप्शन को संशोधित करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- (7) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक अपनी वेबसाइट और प्रणालियों को इस तरीके से सक्षम और सरल बनाएगा जिससे उप–विनियम (6) में उल्लिखित प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए एप्लीकेशन अथवा पोर्टल की उसके प्लेटफार्म तक पहुंच हो:

बशर्ते कि वितरक का सब्सक्राइबर अपने सब्सक्रिप्शन के ब्योरे को देख सकेगा, वितरक द्वारा सम्प्रेषित 'वन–टाईम–पासवर्ड' के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के उपरांत उसमें कोई परिवर्तन करने में सक्षम होगा।

5264 GI/2019 (1) (8) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से सूचनाओं के आदान–प्रदान की अनुमित देगा।"

एस. के. गुप्ता, सचिव [विज्ञापन—III / 4 / असा. / 243 / 19]

नोट 1: मूल विनियमों को दिनांक 03 मार्च, 2017 को अधिसूचना संख्या 21-5/2016-बीएंडसीएस के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

नोट 2: मूल विनियमों को दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 21—4/2018—बीएंडसीएस (2018 का 11) के माध्यम से संशोधित किया गया था।

नोट 3: व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं—सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 6) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (ए<u>ट्रेसेबल प्रणालियां) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 (2019</u> का 6) का व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए 'नए विनियामक ढांचे' (अथवा नए ढांचे) को अधिसूचित किया है। नया ढांचा दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को लागू हुआ। तथापि, सब्सक्राइबरों को उनके विकल्प अपनाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण ने दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक समय उपलब्ध कराया।

उक्त ढांचे में निम्नवत विनियम और प्रशुल्क आदेश अंतर्विष्ट हैं:--

- क. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017।
- ख. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल) प्रणालियां) विनियम, 2017।
- ग. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017।
- 2. टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए विनियमों/आदेशों ने उपभोक्ताओं को टेलीविजन चैनलों का चयन करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की है जो वे देखना चाहते हैं। नए ढांचे का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनेक प्रयास किए हैं जैसे कि डीपीओ के साथ लगातार अनेक बैठकें, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़ मीडिया में प्रचार, उपभोक्ता समूहों आदि के साथ बातचीत। इसके बावजूद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उपभोक्ताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं कि वे डीपीओ के वेब पोर्टल/एप पर सुविधाजनक तरीके से टेलीविजन चैनलों का चयन करने में सक्षम नहीं हैं।
- 3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रमुख डीपीओ के मौजूदा एप तथा वेबसाइट के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक आंतरिक सिमिति का गठन किया है। सिमिति ने पाया कि विभिन्न डीपीओ पर टेलीविजन चैनलों को चयन करने की प्रक्रिया जिटल है और तत्पश्चात् मौजूदा सब्सक्रिप्शन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया और भी थकाऊ है। मूलभूत जानकारी जैसे कि मौजूदा टेलीविजन चैनलों के सब्सक्रिप्शन का ब्योरा भी सब्सक्राइबरों को उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं को उपयुक्त चयन सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने कुछ डीपीओ को निदेश तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी किए।
- 4. उपयुक्त मुद्दे का समाधान सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने व्यापक जनिहत में, उपभोक्ताओं द्वारा सुलभता से चैनलों के चयन को सरल बनाने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा विकसित किए गए चैनल चयन प्रणाली की आवश्यकता को महसूस किया। तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 09 अगस्त, 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं—सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 में प्रारूप विनियम (द्वितीय संशोधन) जारी किया, जिसके संबंध में दिनांक 22 अगस्त, 2019 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।
- 5. तृतीय पक्ष को एप बनाने की अनुमित देने के पीछे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मूल उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को अपने पसंद के चैनल और बुके (जोड़ने / हटाने) का चयन करने, अपना सब्सक्रिप्शन देखने और इनमें बदलाव करने में आसानी रहे, जिसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ता द्वारा अपना सब्सक्रिप्शन स्वयं चुनने से उनके टीवी देखने के खर्च में कमी आएगी।
- 6. कितपय हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां देने हेतु अंतिम तिथि को दिनांक 29 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दिया गया था। जबिक, इस प्रारूप विनियम (द्वितीय संशोधन) के माध्यम से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने तृतीय पक्ष द्वारा एप विकिसत किए जाने के मुद्दे पर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की थीं और परिणामस्वरूप डीपीओ और उपभोक्ताओं के बीच एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग करते हुए जानकारी को साझा करने और उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के चैनलों का चयन करने को सुलभ बनाने और टेलीविजन देखने हेतु प्रभारों के सब्सक्रिप्शन को इष्टतम बनाकर कम करने के संबंध में टिप्पणियां मांगी थी।
- 7. प्रारूप विनियम में, 27 हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं थी और इन्हें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था और यह पाया गया था कि कितपय हितधारकों का यह मत था कि प्राधिकरण को मूलभूत न्यूनतम विनिर्दिष्टताओं और दिशानिर्देशों का निर्धारण करना चाहिए जो कि किसी डीपीओ के एप में होने चाहिए चूंकि टीपीडी एप भी किसी विशिष्ट गुणों की पेशकश नहीं कर रहा है जिसे डीपीओ द्वारा उनके मौजूदा प्रणालियों में नहीं लाया जा सकता है।
- 8. जबिक कितपय हितधारकों ने तृतीय पक्ष एप तैयार करने वालों द्वारा डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा और उपभोक्ता की जानकारियों का दुरुपयोग संबंधी मुद्दे उठाए और इस बात पर भी चिंता जताई कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि सब्सक्राइबरों / डीपीओ द्वारा साझा किए गए गोपनीय डाटा को उद्घटित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया कि टीपीडी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

- 9. कुछ हितधारक, प्रारूप विनियमों के समर्थन में थे और उन्होंने चैनलों के चयन की प्रक्रिया को सर्वांगहित अनुकूल बनाने के इस नवोन्मेषी तरीके का स्वागत किया और उल्लेख किया की इससे सब्सक्राइबरों के लिए न्यायसंगत और समानता का मार्ग प्रशस्त होगा और आगे कहा कि नई टैरिफ व्यवस्था, अधिक प्रभावशाली ढंग से उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के चैनलों का चयन करने में सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह उपभोक्ताओं को एप तथा पोर्टलों के माध्यम से सुरक्षित ढंग से सम्प्रेषण करने में भी मदद करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, उपभोक्ताओं को उनके संबंधित डीपीओ द्वारा पेशकश किए जा रहे चैनलों में से अपनी पसंद के चैनलों/बुके का चयन करने हेतु सुविधा प्रदान करेगा। यह एप उपभोक्ताओं को उनके कुल मासिक बिल में कमी करने के लिए सब्सक्राइबरों द्वारा वांछित चैनलों के आधार पर बुके की इध्दतम रूप से रूपरेखा तैयार कर सकता है।
- 10. तत्पश्चात्, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित खुला मंच चर्चा (ओएचडी) के दौरान हितधारकों ने अपनी टिप्पणियों को दोहराया और उनका यह मत था कि इस समय तृतीय पक्ष एप तैयार किए जाने से इसका प्रयोजन का सिद्ध नहीं होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को डीपीओ को उनकी वेबसाइट, मोबाइल एप, टेलीविजन एप तथा अनेक अन्य माध्यमों में सुधार करने के लिए मूलभूत न्यूनतम विनिर्दिष्टताओं का निर्धारण करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उनकी पसंद का चुनाव (चैनलों/बुके को जोड़ने/हटाने) करने में आसानी हो और वे अपने रुचि के चैनलों को देखते हुए सब्सिक्रिप्शन को इष्टतम बनाकर टेलीविजन देखने हेतु प्रभारों को कम कर सकें। हितधारकों द्वारा आगे यह भी सुझाव दिया गया था कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समय— समय पर डीपीओ की वेबसाइट का निरीक्षण/लेखापरीक्षा कर सकता है तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीपीओ द्वारा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है।
- 11. इसके अलावा, खुला मंच चर्चा के दौरान, हितधारकों का सामान्यतः यह मत था कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक एप विकसित करे और उन्हें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ अपने एपीआई को साझा करने में कोई आपत्ति / झिझक नहीं है चूंकि उनके डाटा विनियामक के पास सुरक्षित हैं और उपभोक्ता जानकारी के लीक / दुरुपयोग होने तथा डाटा की निजता का कोई मुद्दा नहीं है।
- 12. प्राधिकरण ने प्रारूप विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और खुला मंच चर्चा (ओएचडी) के दौरान हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण किया। हालांकि प्राधिकरण हितधारकों के इस मत सहमत नहीं है कि एपीआई के माध्यम से तृतीय पक्ष को जानकारी साझा करना सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे हैं क्योंकि अब तृतीय पक्ष के साथ जानकारी साझा करना किसी भी व्यवसाय में सामान्य हो गया है और गोपीनीयता और सुरक्षा की समस्या को दूर करने के लिए उचित जांच और संतुलन रखा जा सकता है। हालांकि, हितधारको के अन्य सुझावों के मद्देनज़र कि वे अपने एपीआई को ट्राई के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिरकरण द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार अपने एप और वेबसाइट को संशोधित करने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में, प्राधिकरण डीपीओ को अपने एपीआई को तृतीय पक्ष के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है।
- 13. प्राधिकरण एपीआई विशिष्टियों को अंतिम देने के काम में लगा हुआ है, जिनकी सूचना डीपीओ को अलग से दी जाएगी। जब भी प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के एप एवं पोर्टल के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए पूछता है तो डीपीओ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ एपीआई के माध्यम से सूचना साझा/आदान—प्रदान करेंगे। इन एपीआई को जरूरत पड़ने पर समय—समय पर संशोधित किया जाएगा। डीपीओ अपने मौजूदा सिस्टम्स में जरूरी बदलाव करें जिससे कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निर्धारित समय—सीमा के भीतर डाटा उपलब्ध कराया जा सके।
- 14. इस द्वितीय संशोधन के माध्यम से प्राधिकरण, डीपीओ को उनके प्लेटफार्म पर उपलब्ध चैनलों / बुके तक उपभोक्ताओं की पहुंच को सरल बनाने हेतु अधिदेशित कर रहा है तािक उन्हें अपनी पसंद के चैनल और बुके (जोड़ने / हटाने) के चयन में सुविधा हो, वे अपने सब्सक्रिप्शन को देख सकें और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के एप एवं पोर्टल के माध्यम से उसमें आशोधन कर सकें।
- 15. प्राधिकरण ने डीपीओ द्वारा प्रस्तुत सुझावों का संज्ञान लिया है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को मूल न्यूनतम विशिष्टियां और दिशानिर्देश तय करने चाहिए जो किसी भी डीपीओ की वेबसाइट/मोबाइल एप में होने चाहिए। इस दृष्टि से, प्राधिकरण न्यूनतम अपक्षाओं को अंतिम रूप दे रहा है जो किसी भी डीपीओ की वेबसाइट/मोबाइल एप में होने चाहिए। इन विनियमों के साथ—साथ ये दिशा—िनदेश जारी किए जा रहे हैं।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October 2019

- **F. No. 12-37/2019-B&CS.**—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39, —
- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and
- (b) published under notification No. S.O. 44(E) and 45(E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,......
- the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (2 of 2017), namely:—

- **1.** (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2019 (6 of 2019).
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In regulation 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017, after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -
- "(6) Every distributor of television channels shall allow the consumers to access, through application (such as Mobile App) or portal developed by the Authority, to view the television channels and bouquet of channels available on its platform, select the television channels or bouquet of channels of their choice available on the platform, deselect any channel or bouquet of channels, view their subscription details and modify their subscription.
- (7) Every distributor of television channel shall enable and facilitate its website or system in such a manner that an application or portal developed by the Authority may have access to its platform for the purposes mentioned in sub-regulation (6):

Provided that the subscriber of the distributor shall be able to view its subscription details, make changes therein only after authentication by one-time password communicated by the distributor.

(8) Every distributor of television channel shall allow exchange of information through Application Programme Interface (API) as specified by Authority from time to time."

S. K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./243/19]

- **Note.1:** The principal regulations were published vide notification No. 21-5/2016-B&CS dated the 3rd March 2017.
- **Note 2:** The principal regulations were amended vide notification No. 21-4/2018-B&CS dated 28th December 2018 (11 of 2018)
- **Note 3:** The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2019 (6 of 2019)

Explanatory Memorandum to Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2019 (6 of 2019)

TRAI, on 3rd March 2017, notified the 'New Regulatory Framework' (or the New Framework) for Broadcasting and Cable services. The new framework came into effect on 29th December 2018. However, to provide enough time to subscribers for exercising their options, the Authority provided time up to 31st January 2019.

The said framework comprises of the following regulations and Tariff Order: -

- a. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017
- b. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017
- c. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017
- 2. TRAI's new regulations/orders for the television and broadcasting sector gave freedom to consumers to select television channels they want to watch. To ensure proper implementation of the new framework, TRAI has made number of efforts such as series of meetings with Distribution Platform Operators (DPOs), publicity in electronic and news media, interactions with customer groups etc. Despite this, TRAI was in receipt of several complaints from the consumers that they are not able to choose the TV channels conveniently on the web portal/apps of the DPOs.
- 3. TRAI setup an internal committee to check functioning of existing APPs and websites of major DPOs. The committee observed that the process of selecting TV channels on various DPOs platform is cumbersome and the process of subsequent change in the existing subscription is even more tedious. The basic information such as details of existing TV channels subscription is also not visible to subscribers. To ensure proper choice to the consumers, the Authority also issued directions and show cause notices to some DPOs.
- 4. In order to address above issue, the Authority, in the larger public interest, felt need to have Channel Selection System developed by third party to facilitate easy channel selection by consumers. Accordingly, the Authority issued Draft Regulation (Second Amendment) to The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations 2017 on 9th August 2019, inviting written comments from stakeholders by 22nd August, 2019.

- 5. The basic objective of TRAI was to allow third party to create an app so that consumers should have ease in selection of channels and bouquets (addition/deletion) of their choice, view their subscription and modify the same which would result in reduction of TV viewing charges for consumers by optimising their subscription.
- 6. On request of some of the stakeholders, the last date for submission of comments was extended upto 29th August, 2019. Through this draft regulation (second amendment), TRAI sought comments of the stakeholders on the issue of developing of APP by third parties and consequent sharing of information using Application Program Interface (API) between DPOs and consumers to have ease in selection of channels of their choice and reduce TV viewing charges by optimizing their subscription while allowing them to view channels of their interest.
- 7. On the draft regulation, comments were received from 27 stakeholders and the same were uploaded in TRAI website. Some of the stakeholders suggested that the Authority should lay down basic minimum specification and guidelines that an App of any DPO should have as the TPD App is not offering anything unique which cannot be built by the DPOs in their current systems.
- 8. While some of the stakeholders raised issues like data confidentiality, security and misuse of consumer information by third party App developers and there is no guarantee of ensuring that the confidential data shared by the subscribers/DPOs would not be divulged. Further, it was also mentioned that the TPDs are not under the TRAI ambit.
- 9. Some of the stakeholders were in support of the draft regulation and welcomed this very innovative move to democratize the channel selection process and mentioned that this may eventually pave the way for fairness and equality for the subscribers and further stated that this will more effectively offer assistance to the consumers in choosing their wanted TV channel according to the new tariff regime. They have also stated that this will allow consumers securely communicate with the DPOs through APPs and Portals. The IT Application will also facilitate consumers to choose channels/bouquets of their interest among the offering by their respective DPOs. The APP can also suggest an optimal configuration of bouquets based on channels desired by the subscriber to reduce the total monthly bill.
- 10. Subsequently, during an Open House Discussion (OHD) held at TRAI HQ, New Delhi on 16th September 2019, the stakeholders reiterated their comments and were of the view that creation of third party app will not solve the purpose and at this stage TRAI should lay down basic minimum specification and guidelines for DPOs for improving their Website, Mobile App, TV app and various other means for ease of use by consumers in selecting their choice (addition/deletion of channels/bouquets) and reduce TV viewing charges by optimizing their subscription while allowing them to view channels of their interest. It was further suggested by the stakeholders that TRAI may carry out inspection/audit of the websites of the DPOs from time to time to ensure that the guidelines have been implemented by the DPOs.
- 11. Further, during the OHD, stakeholders were generally of the view that TRAI may develop an App and they have no objection/hesitation in sharing their APIs with TRAI as their data is secure with the regulator and there will not be issues like leakage/misuse of consumer information and privacy of data.
- 12. The Authority analysed the comments received from stakeholders on the draft regulation and submissions made by the stakeholders during the OHD. Though Authority don't agree with the stakeholders that sharing of information through API to third party have security and privacy issues as now sharing the information with third party has become normal in any business and proper check and balances can be put in place to overcome the problem of privacy and security. However, in view of the other suggestions of the stakeholders that they are open to share their API with TRAI and also willing to modify their APP and website as per guidelines issued by TRAI, the Authority is not mandating DPOs to share their APIs with third party at this stage.
- 13. The Authority is in the process of finalising the API Specifications which will be communicated separately to the DPOs. DPOs are to share/exchange the information through API with the TRAI whenever the Authority asks for the same for ensuring integration with the TRAI's APP or Portal. These API will be modified from time to time as and when need arises. DPOs may like to make necessary modifications in their current systems so that the API can be shared with TRAI in a given time frame.
- 14. Through this second amendment, Authority is mandating the DPOs to allow the consumers to access channels/bouquets available on its platform and have ease in selection of channels and bouquets (addition/deletion) of their choice, view their subscription and modify the same through the TRAI's APP/Portal.
- 15. The Authority has also taken cognizance of the suggestions made by DPOs that TRAI should lay down basic minimum specification and guidelines that a Website/Mobile App of any DPO should have. In this aspect, Authority has finalized the minimum requirements that a Website/Mobile App of any DPO should have. The same is being issued simultaneously along with these Regulations.